

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
बुधवार, 18 जनवरी, 2006/माघ 04, 1927 (शक)

संख्या- 121

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, एस.एच.ओ., संसद मार्ग, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, सर्वश्री डॉ. हर्षवर्द्धन, पूरन चन्द योगी, माँगे राम गर्ग, साहब सिंह चौहान, डॉ. जगदीश मुखी, धर्म देव सोलंकी, ओ.पी.बब्बर, जय भगवान अग्रवाल तथा मोती लाल सोढ़ी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत, दिनांक 17.01.2006 को 12.30 बजे, प्रथम बैरिकेड, संसद मार्ग, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 13.00 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

# DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

## BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Wednesday, 18<sup>th</sup> January 2006/ 04 Magha 1927 (Saka)

No. 121

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Parliament Street, New Delhi

"I have the honour to inform you that'S/Shri Dr. Harshvardhan, Pooran Chand Yogi, Mange Ram Garg, Sahab Singh Chauhan, Dr. Jagdish Mukhi, Dharam Dev Solanki, O.P. Babbaar, Jai Bhagwan Aggarwal and Motilal Sodi, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from Ist Barricat, Parliament Street, New Delhi 1230 Hrs. on 17.1.2006.

They were released at 1300 Hrs. from the same place on the same date."

Siddharath Rao  
Secretary